

फर्द अहकाम

(निगम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)


केशर देवी पत्नि गोपाल लाल माली नि. जहाजपुर वगैरा

बनाम

गंगा देवी पत्नि कैलाश चन्द्र मुंदडा नि. जहाजपुर वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1067/2021

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही गय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुवम की तारीख में जारी हय
18.11.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंवो के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 5343/5 रकबा 0.4856 है. कुल कित्ता 01 रकबा 0.4856 है. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। उन्हे सीमा विन्दु की पुख्ता जानकारी नहीं होने से आये दिन हंकाई बुआई कटाई के समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्द में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने वावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 5343/5 रकबा 0.4856 है. कुल कित्ता 01 रकबा 0.4856 है. की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 18.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)